उपस्थित :-

1. अधिवक्ता वादीगण :- श्री अशोक कुमार कड़वासरा
2. प्रतिवादीगण की तरफ से कोई हाजिर नही - एक पक्षीय।

निर्णय

दिनांक :- 29.05.2024

वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी अधिकारो की भूमि तहसील लोहावट के पटवार मण्डल जालोड़ा के राजस्व ग्राम मेघवालो की ढाणी में खसरा नम्बर 187 रकबा 21.9420 हैक्टेयर की भूमि आयी हुई है। जिसमें वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 14 से 17 का संयुक्त रूप से 1/4 हिस्सा, प्रतिवादीगण संख्या 01 से 10 का सयुक्त रूप से 1/4 हिस्सा, प्रतिवादीगण संख्या 11 से 13 का सयुक्त रूप से 1/2 हिस्सा की भूमि बन्ट आती है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण का अपने बन्ट के अनुसार मौके पर अन्दाजीया बन्टवाड़ा कर कब्जा काश्त किया हुआ है। वादग्रस्त भूमि का आज दिन तक विधिवत बन्टवाड़ा नही किया गया है राजस्व रेकॉर्ड में भूमि सामलाती काश्त की दर्ज है। वादीगण ने प्रतिवादीगण को मौके पर कब्जा काश्त के माफिक बन्टवाड़ा करवाने के लिए कहा लेकिन प्रतिवादीगण ने बन्टवाड़ा करवाने से साफ इन्कार कर दिया। इसलिए वादीगण ने यह वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत किया।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण के समन जरीये रजिस्टर्ड डाक से भेजकर तलब किये गये। प्रतिवादीगण को भेजे गये सम्मन की डाक रशिदे अधिवक्ता वादीगण ने न्यायालय हाजा में पेश की जो शामिल मिसल की गयी। प्रतिवादीगण तामिली के पश्चात भी न्यायालय में उपस्थित नही आने से उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी।

अधिवक्ता वादीगण ने वाद को प्राथमिक डिक्री कर वादग्रस्त भूमि का विभाजन प्रस्ताव मिट्स एण्ड बाउण्ड्स नियमो के अन्तर्गत तहसीलदार लोहावट से मंगवाये जाने का निवेदन किया।

अधिवक्ता वादीगण के निवेदन पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया बाद अवलोकन एवं मनन निर्णय दिनांक 14.06.2023 को वाद प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार लोहावट को आदेशित किया गया कि "वादग्रस्त भूमि में वादीगण एवं प्रतिवादीगण के राजस्व रेकॉर्ड जमाबन्दी में दर्ज हिस्से अनुसार बन्टवाड़ा प्रस्ताव राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना करते हुए प्रत्येक खातेदार को रास्ता से जोड़ते हुए दो प्रतियो में पेश करे।"

सहायक कलक्टर
लोहावट जिला फलौदी

Scanned with CamScanner

तहसीलदार लोहावट ने दिनांक 11.09.2023 को विभाजन प्रस्ताव तैयार कर न्यायालय हजा के समक्ष प्रस्तुत किया जो शामिल मिसल किया गया। पत्रावली अन्तिम बहस के लिए मुकरर की गयी।

अधिवक्ता वादीगण ने तहसीलदार लोहावट के द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव पर अधिवक्ता वादीगण ने बताया की विभाजन प्रस्ताव के पृष्ट संख्या 02 में रेवन्तराम वगैरह की हिस्सा कस्सी का इन्द्राज गलत है जो जमाबन्दी के अनुरूप नही है। रेवन्तराम वगैरह को कुल रकबे में बन्ट आने वाली भूमि तो इनके बन्ट में सही रखी गयी परन्तु बन्ट में रखी गयी भूमि में रेवन्तराम वगैरह के हिस्सा कस्सी गलत अंकित है। जिसको जमाबन्दी के अनुसार सही करवाया जावें। तहसीलदार लोहावट द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव व वाद के साथ प्रस्तुत जमाबन्दी के अवलोकन से प्रतिवादीगण सख्या 1 ता 10 रेवन्तराम वगैरह के बन्ट में 5.3496 हैक्टेयर भूमि दी गयी जिसमें प्रत्येक का 1/10 बराबर बराबर हिस्सा निर्धारित किया गया है जबकी जमाबन्दी अनुसार कुल रकबा 21.9420 हैक्टेयर में प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 09 प्रत्येक का 1/160 हिस्सा व प्रतिवादीगण संख्या 10 का 31/160 हिस्सा है। विभाजन प्रस्ताव में हिस्से त्रुटीपूर्ण अंकित किये गये होने से तहसीलदार लोहावट को पुनः मूल विभाजन प्रस्ताव हिस्सा कस्सी दुरूस्त करने के लिए प्रेषित किया गया।

तहसीलदार लोहावट ने विभाजन प्रस्ताव के पृष्ट संख्या 02 में पक्षकारो की हिस्सा कस्सी दुरूस्त कर पुनः अपने पत्र कमांक/भू.अ./024/3146 दिनांक 28.05.2024 से मूल विभाजन प्रस्ताव न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया जो शामिल मिसल किया गया। पुनः प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव पर अधिवक्ता वादीगण ने कोई आपत्ति पेश नही की ओर विभाजन प्रस्ताव स्वीकार कर निवेदन किया कि तहसीलदार लोहावट द्वारा तैयार विभाजन प्रस्ताव के अनुसार वादग्रस्त भूमि का बन्टवाड़ा कर नक्शा में तरमीम अलग किये जाने का आदेश प्रदान करे ओर वाद को अन्तिम डिक्री किया जावें।

तहसीलदार लोहावट द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया। विभाजन प्रस्ताव में वादीगण के हस्ताक्षर/अगुठ निशान किये हुए है तथा प्रतिवादीगण संख्या 02 से 06 व प्रतिवादीगण संख्या 11 के हस्ताक्षर/अगुठ किये हुए हैं। विभाजन प्रस्ताव तैयार करने से पूर्व तहसीलदार द्वारा प्रतिवादीगण को सुचना का नोटिस कमांक/1717 दिनांक 25.08.2023 को जारी किया जाने के पश्चात तहसीलदार स्वयं के द्वारा मौका देखकर विधिवत राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना करते हुए प्रत्येक खातेदार को रास्ता से जोड़ते हुए तैयार कर न्यायालय में पेश किया है जिसमें किसी प्रकार की

सहायक कलक्टर
लोहावट जिला फलौदी

Scanned with CamScanner

कोई त्रुटी नही है। तथा अधिवक्ता वादीगण ने भी बन्टवाड़ा प्रस्ताव पर कोई आपत्ति पेश नही कर विभाजन प्रस्ताव पर सहमति दी है। अधिवक्ता वादीगण की सहमति एवं विभाजन प्रस्ताव विधिअनुसार होने से स्वीकार किया जाकर विभाजन प्रस्ताव माफिक वादग्रस्त भूमि का बन्टवाड़ा किया जाकर खाता अलग करने व नक्शा में अलग तरमीम किया जाना न्यायोचित है। वादीगण का वाद अन्तिम डिक्री किया जाने योग्य होने से वाद अन्तिम डिक्री किया जाता है।

क्रियात्मक आदेश

तहसीलदार लोहावट द्वारा राजस्व ग्राम मेघवाला की ढाणी पटवार हल्का जालोड़ा तहसील लोहावट के खसरा नम्बर 187 रकबा 21.9420 हैक्टेयर भूमि के सम्बन्ध में प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किया जाता है। उक्त वादग्रस्त भूमि का वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य निम्नुसार बंटवाड़ा किया जाता है :-

क्र. स.	पक्षकारान् का नाम	ग्राम का नाम	खसरा नम्बर	रकबा/हैक्टयर	किस्म
1	तुलछाराम पुत्र मूलाराम जाति मेघवाल सा. देह खातेदार रहन आर.एम.जी.बी बैक लोर्डिया	मेघवालो की ढाणी	187	3.5663 हैक्टेयर	बा-2
2	तेजाराम पुत्र मूलाराम जाति मेघवाल सा. देह खातेदार रहन आर.एम.जी.बी बैक लोर्डिया	मेघवालो की ढाणी	187	3.5663 हैक्टेयर	बा-2
3	लालाराम पुत्र मूलाराम जाति मेघवाल सा.देह खातेदार रहन आर.एम.जी.बी बैक लोर्डिया	मेघवालो की ढाणी	187	3.5663 हैक्टेयर	बा-2
4	बुधराम 1/6 हिस्सा, मोतीराम 1/6 हिस्सा, सोनूराम 1/6 हिस्सा पिता गुमानाराम, मांगीबाई 1/6 हिस्सा, मोहनी 1/6 हिस्सा पुत्रीया गुमानाराम, लाछो पत्नि गुमानाराम 1/6 हिस्सा जाति मेघवाल सा. देह खातेदार	मेघवालो की ढाणी	187	5.3496 हैक्टेयर	बा-2
5	आईदानराम 1/40 हिस्सा, उदाराम 1/40 हिस्सा, ओमाराम 1/40 हिस्सा, किशनाराम 1/40 हिस्सा,	मेघवालो की ढाणी	187	5.3496 हैक्टेयर	बा-2

सहायक कलक्टर
लोहावट जिला फलोदी

Scanned with CamScanner

	जेवराम 1/40 हिस्सा, रेवन्तराम 1/40 हिस्सा पिता पेमाराम, गायत्री 1/40 हिस्सा, ममता 1/40 हिस्सा, लीला 1/40 हिस्सा पुत्रीया पेमाराम, सुरती पत्नि पेमाराम 31/40 हिस्सा जाति मेघवाल सा.देह खातेदार (रहन आई.सी.आई.सी.आई बैक फलोदी में सुरती हिस्सा)				
6	समस्त खातेदारो के आवागमन रास्ते के लिए भूमि	मेघवालो की ढाणी	187	0.5439 हैक्टेयर	बा-2

तहसीलदार लोहावट को आदेश दिया जाता है कि उपरोक्त वादग्रस्त भूमि के विभाजन का राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कर वादीगण एवं प्रतिवादीगण के खाते राजस्व रिकॉर्ड में अलग-अलग कायम कर इसी अनुसार नक्शा लट्ठा ट्रेस में तरमीम करे। विभाजन प्रस्ताव के संलग्न नजरी नक्शा निर्णय का अभिन्न भाग समझा जायेगा। डिक्री पर्चा अलग से जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 29.05.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

मांगीलाल (आर.ए.एस.)
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
लोहावट जिला फलोदी

सहायक कलक्टर
लोहावट जिला फलौदी

Scanned with CamScanner